बिहार सरकार,

ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश सं0- 144848

(ग्रा0वि01/स्था0(रा0प0)-02/2007) पटना, दिनांक:-09/04/2013

जिलों से प्रभावकारी समन्वय एवं अनुश्रवण के दृष्टिकोण से विभाग के निम्नलिखित पदाधिकारियों को 08.04.2013 के प्रभाव से नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है:-

पदाधिकारियों के नाम/पदनाम एवं आवंटित जिला

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	आवंटित जिला का नाम
1	श्री मिथिलेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0,अपर सचिव	समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी,
2	श्री अजय कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव	भागलपुर, बांका,
3	श्रीमती सुजाता चलाना, उप सचिव	जहानाबाद, अरवल, गया
4	श्री राजीव कुमार, परियोजना पदाधिकारी	बक्सर, रोहतास, कैमूर, भोजपुर
5	श्री संजय कृष्ण, विशेष कार्य पदाधिकारी	पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर
6	श्रीमती सीमा सिन्हा, सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	वैशाली, पटना
7	श्री अतुल कुमार वर्मा, विशेष कार्य पदाधिकारी	कटिहार, पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज
8	श्री कुमार सिद्धार्थ, विशेष कार्य पदाधिकारी	जमुई, मुंगेर, बेगुसराय
9	श्री मनोज कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी	नालन्दा, नवादा, औरंगाबाद
10	श्री तुलसी राम, कार्यपालक अभियन्ता	सारण, प0 चम्पारण
11	श्री गोपाल सिंह, सहायक अभियन्ता	गोपालगंज, सीवान
12	श्री मनोज कुमार सिंह, उप निदेशक	मधेपुरा, खगड़िया
13	श्री राधाकान्त कुमार, परियोजना निदेशक	सीतामढ़ी, शिवहर
14	श्री सुनील प्रकाश सिंह, निरीक्षी पदाधिकारी	सुपौल, लखीसराय
15	श्री किशोर प्रसाद कुसुम, निरीक्षी पदाधिकारी	सहरसा, शेखपुरा

नोडल पदाधिकारी का दायित्व:-

1. जिले के उप विकास आयुक्तों से सतत् सम्पर्क में रहकर जिलों द्वारा संदर्भित विभाग के स्तर पर लंबित मामलों का निष्पादन करवाना।
2. जिलों से सम्पर्क करके विभाग द्वारा मांगी गयी लंबित सूचना प्राप्त करने हेतु समन्वय करना।
3. दो महीने में एक बार संबंधित जिले का दो दिवसीय भ्रमण करके जिला स्तरीय पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा विभाग के लंबित मामलों का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त करना।
4. जिला भ्रमण के क्रम में संबंधित पदाधिकारी एक दिन क्षेत्र में जाकर विभाग की योजनाओं का आकलन करके प्रतिवेदन समर्पित करेंगें। प्रतिवेदन की प्रति संबंधित जिला पदाधिकारी/ उप विकास आयुक्तों को सीधे भेज दी जायेगी।

5. सभी योजनाओं की प्रगति की एम0आई0एस0 के माध्यम से प्रतिदिन समीक्षा करना और महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट करना।
6. संबद्ध जिले से संबंधित मामलों की सम्यक जांच करना।
7. विभाग के स्तर पर इसका समन्वय श्री अतुल कुमार वर्मा, विशेष कार्य पदा0 द्वारा किया जाएगा, जो मासिक तौर पर एक प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करेंगें।
8. पूर्व के कार्यालय आदेश संख्या-125898 दिनांक-12.10.12 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:- 144848 /पटना, दिनांक:- 09/04/2013

प्रतिलिपि:- ग्रामीण विकास विभाग के सभी पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सहायक/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:- 144848 /पटना, दिनांक:- 09/04/2013

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।